2008:सीजीएचसी:8474-डीबी

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या : 85/2003

पंचू यादव
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य
और
(संबंधित दांडिक अपील संख्या 86/2003)

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश राजीव गुप्ता
मैं सहमत हूँ

सही /-
मुख्य न्यायाधीश

दिनांक – 25.08.2008 को निर्णय
पारित किये जाने हेतु सूचीबद्ध

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

2008:सीजीएचसी:8474-डीबी

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दण्डिक अपील संख्या : 85/2003

अपीलार्थी : पंचू यादव पिता नरेश यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी झिरिया कलां, थाना पंडरिया, जिला-कवर्धा (छ.ग.) ।

बनाम

प्रतिवादी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना पंडरिया, जिला - कवर्धा (छ.ग.) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा

दण्डिक अपील संख्या : 85/2003

अपीलार्थी : राम भरोसे पिता अदलू गोंड, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी झिरिया कलां, थाना पंडरिया, जिला-कवर्धा (छ.ग.) ।

बनाम

प्रतिवादी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना पंडरिया, जिला - कवर्धा (छ.ग.) ।

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थित :

अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री वी.सी. ओट्टालवार, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से अधिवक्ता : श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

(25.08.2008)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया :-

1) ये अपीलें विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

2008:सीजीएचसी:8474-डीबी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विशेष प्रकरण संख्या 155/2001 में दिनांक 17 दिसंबर, 2002 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध हैं, जिसके तहत अपीलार्थी पंचू यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (इसके बाद विशेष अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3(2)(**V**) के तहत दोषी ठहराया गया है और क्रमशः दो बार आजीवन कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया है, जिसके न अदा करने पर एक बार दो महीने का साधारण कारावास और अपीलार्थी राम भरोसे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया है । 500/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास ।

2) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 18.08.2001 को, दिलीप कुमार (अब मृतक) गदहियाडीहखर में अपने मवेशी चरा रहे थे । ईश्वरी प्रसाद (आ. सा. 2) और भुरुवा राम (आ. सा.

4) भी पास ही अपने मवेशी चरा रहे थे । दोपहर लगभग 3 बजे, अपीलकर्ता पंचू अपने एक साथी के साथ वहाँ आया । उसने दिलीप को गालियाँ देना शुरू कर दिया और कहा कि वह अपने मवेशियों को यहाँ चराने के लिए क्यों लाया है । उनके बीच कुछ तीखी बहस हुई । आरोप है कि पंचू ने दिलीप पर लाठी से एक वार किया, जिससे दिलीप गिर पड़ा और जब दिलीप खड़ा हुआ, तो उसने एक और वार किया, जिससे दिलीप बेहोश हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई । महेत्तर (आ. सा. 1) मृतक का दादा है । वह तुरंत घटनास्थल पर पहुँचा और उसे घटना के बारे में बताया गया। इसके बाद, वह पुलिस थाने गया और प्रदर्श पी-1 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया ।

3) विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे, मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा, प्रदर्श पी-4, तैयार की और प्रदर्श पी-9-ए के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया । पोस्टमार्टम डॉ. अशोक सिंह (आ. सा. 7) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट, प्रदर्श पी-10, तैयार की । शव-परीक्षा सर्जन ने माथे और बाएँ ललाट-पार्श्विका क्षेत्र पर दो बाहरी चोटों, एक चोट और एक कटे हुए घाव देखे, जिसमें ललाट-पार्श्विका हड्डी का फ्रैक्चर था । उन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण अंतःकपालीय रक्तस्राव के कारण सदमा था । मृतक दिलीप का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-9 भी जब्त कर लिया गया । इसके बाद, अपीलार्थी पंचू को हिरासत में ले लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका ज्ञापन कराया, प्रदर्श पी-5 के तहत दर्ज किया गया, जिसके अनुसरण में, प्रदर्श पी-6 के तहत एक बाँस की लाठी जब्त की गई । जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहाँ से रिपोर्ट, प्रदर्श पी-13 प्राप्त हुई । आगे की विवेचना में, अपीलार्थी राम भरोसे को दिनांक 26.09.2001 को गिरफ्तार किया गया और दिनांक 12.10.2001 को उसकी पहचान परेड कराई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गई। ईश्वरी प्रसाद (आ. सा. 2) और भुरुवा राम (आ. सा. 4) ने उसकी पहचान की और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान ज्ञापन प्रदर्श पी-14 तैयार किया गया ।

4) सामान्य विवेचना पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया । मामला बिलासपुर के विशेष न्यायाधीश के द्वारा उपर्पित कर प्रस्त हुआ और उन्होंने विचारण किया और अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्तानुसार दंडित किया ।

5) अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.सी. ओटालवार ने तर्क दिया कि जहाँ तक अपीलार्थी राम भरोसे का संबंध है, उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उनके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, उनके विरुद्ध धारा 302/34 भा. दं. वि. के तहत कोई भी मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है । उन्होंने अ. सा. 2 और अ. सा. 4 के साक्ष्यों का हवाला दिया और उनके साक्ष्यों में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया, खासकर इन गवाहों द्वारा पुलिस केस डायरी में दर्ज बयानों में राम भरोसे के कृत्यों के बारे में की गई चूक के संबंध में । पंचू के बारे में, उन्होंने तर्क दिया कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, पंचू द्वारा किया गया अपराध भा. दं. वि. की धारा 304 भाग **II** से आगे नहीं जाता । विशेष अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के बारे में, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी पंचू को उक्त प्रावधानों के तहत दोषी ठहराने के लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3(2)(**V**) के तहत दोषसिद्धि अभिलेख पर बिल्कुल भी किसी तथ्य की मौजूदगी के बिना है ।

6) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र मामले के अभिलेखों को भी सुना है ।

8) ईश्वरी प्रसाद (आ. सा. 2) ने बयान दिया कि "घटना के दिन, वह भुरुवा राम (आ. सा. 4) के साथ अपने मवेशी चराने गया था । मृतक दिलीप भी अपने मवेशी चरा रहा था । पंचू और राम भरोसे वहाँ आए । वे दिलीप को उसकी जाति का नाम लेकर गालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे कि वह अपने मवेशियों को इस खेत में चराने क्यों लाया है । इसके बाद, रामभरोसे ने मृतक पर एक लाठी से एक वार किया, जिससे वह गिर गया और जब वह खड़ा हुआ, तो पंचू ने उसके सिर पर एक और लाठी से वार किया" । पुलिस केस डायरी के बयानों प्रदर्श डी-2 और प्रदर्श डी-3 के संदर्भ में उससे प्रतिपरीक्षण किया गया । अपने दो केस डायरी बयानों में, इस गवाह ने कहा था कि पंचू ने मृतक पर लाठी से हमला किया था, जिससे वह गिर गया और जब वह खड़ा हुआ, तो उसने उस पर एक और लाठी से वार किया । उसने इन बयानों में कहा था कि पंचू राम के साथ एक और व्यक्ति भी था, लेकिन वह उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचू राम के साथ मौजूद व्यक्ति ने मृतक पर कोई हमला नहीं किया था । उनका पहला बयान प्रदर्श डी-2 दिनांक 19.08.2001 को और दूसरा बयान प्रदर्श डी-3 दिनांक 20.08.2001 को दर्ज किया गया था । जब उनसे ये बयान लिए गए, तो उन्होंने इन सब बातों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने पुलिस को वही बताया था जो वह न्यायालयीन कथन में बता रहा हैं ।

9) आ. सा. 4 भुरुवा राम दूसरा चश्मदीद गवाह है । उसने भी इसी तरह की गवाही दी है । उसके अनुसार, जब वे अपने मवेशी चरा रहे थे, तो पंचू और रामभरोसे वहाँ आए, उन्होंने मृतक को गालियाँ देनी शुरू कर दीं, उनके बीच कुछ तीखी बहस हुई और इसके बाद, अपीलार्थी रामभ-रोसे ने मृतक पर लाठी से वार किया जिससे वह गिर पड़ा और जब वह खड़ा हुआ तो पंचू राम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ने उस पर एक और वार किया । अपने साक्ष्य के पैरा 4 में, उन्होंने स्वीकार किया कि जब मेह-
त्तर राम घटनास्थल पर पहुँचे और पूछा कि किसने चोटें पहुँचाईं, तो उन्होंने दोनों अपीलार्थीओं के
नाम उन्हें बता दिए थे । वह मृतक और उसके पोते मेहत्तर राम (आ. सा. 1) के भाई हैं । उन्हें
पुलिस केस डायरी के प्रदर्श डी-4 और डी-5 भी दिखाए गए, जिनमें उन्होंने कहा था कि पंचू ने
मृतक पर दो लाठियाँ मारी थीं और वह उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते थे जो पंचू राम के साथ
था और उस व्यक्ति ने मृतक पर हमला नहीं किया था और घटनास्थल से भाग गया था । उसने
इन बातों से इनकार किया और गवाही दी कि उसने पुलिस को वही बताया था जो वह न्यायाल-
यीन कथन में बता रहा है । दरअसल, वह न्यायालयीन कथन में यह नहीं बता पाया कि जब
उसे रामभरोसे का नाम पता था, तो उसने 161 के बयानों में उसका नाम क्यों नहीं बताया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) इन दोनों गवाहों के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर, हम पाते हैं कि इन गवाहों द्वारा पुलिस
केस डायरी में दिए गए बयानों में अपीलार्थी राम भरोसे का नाम न लेने की चूक अभियोजन पक्ष
के लिए घातक है । जब आ. सा. 4 ने स्वीकार किया कि उसने दोनों हमलावरों के नाम अपने
दादा को बताए थे, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गए थे, तो इस गवाह द्वारा 161 के बयान दर्ज
करते समय उसका नाम न लेने और केवल यह कहने का कोई कारण नहीं था कि अपीलार्थी पंचू
यादव के साथ एक और व्यक्ति था । आ. सा. 2 के संबंध में भी यही स्थिति होगी, क्योंकि उसने
भी अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अपीलार्थी राम भरोसे का नाम लिया था, लेकिन उसने केस डा-
यरी के बयानों में उसका नाम नहीं लिया था ।

11) यदि हम प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रदर्श पी-1 की विषय-वस्तु पर गौर करें, तो ऐसा प्रतीत
होता है कि अपीलार्थी पंचू के साथ किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति का भी उल्लेख प्रथम सूचना
प्रतिवेदन में नहीं है । यदि वास्तव में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने वाले को प्रत्यक्षदर्शियों
ने बताया था कि पंचू के साथ राम भरोसे भी था, तो निश्चित रूप से इस आशय का कोई विव-

रण प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अवश्य रहा होगा । इससे पता चलता है कि वास्तव में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने वाले को पंचू के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और इससे अपीलार्थी राम भरोसे की प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता पर संदेह उत्पन्न होता है ।

12) उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, वास्तव में, परीक्षण पहचान परीक्षण के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए किसी काम के नहीं हैं । यदि राम भरोसे को चश्मदीद गवाह पहले से जानते थे, जैसा कि वे अपने न्यायालयीन साक्ष्य में दावा कर रहे हैं, तो वे पुलिस को उसका नाम बता देते जब उनके 161 के बयान दर्ज किए जा रहे थे और उस स्थिति में, पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पहचान परेड में, उन्होंने राम भरोसे की पहचान की और उसका नाम अर्जनी बताया । इसलिए, इन दो चश्मदीद गवाहों के न्यायालयीन कथनों के आलोक में, दिनांक 12.10.2001 को आयोजित पहचान परेड पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और अंततः, हमारा यह सुविचारित मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी राम भरोसे के खिलाफ युक्तियुक्त संदेह से परे मामला बनाने में विफल रहा है और वह संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) अब हम अपीलार्थी पंचू के मामले पर विचार करेंगे । दो चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक और इस अपीलार्थी के बीच झगड़ा मृतक के मवेशियों के एक खास इलाके में चरने को लेकर शुरू हुआ था । झगड़े के दौरान, पहले तो इस अपीलार्थी की मृतक के साथ तीखी बहस हुई और फिर अचानक उसने अपने पास मौजूद बाँस की लाठी से मृतक पर हमला कर दिया । बाँस की यह लाठी 138 सेंटीमीटर लंबी थी और इसका व्यास 7 से 11 सेंटीमीटर था । इस तरह की बाँस की लाठी आमतौर पर मवेशी चराने वाले ग्रामीणों द्वारा रखी जाती है । अभिलेख में मौजूद संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करने पर, हमें ऐसा नहीं लगता कि वास्तव

में, अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का कोई आशय था । ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटी सी बात पर, बिना किसी पूर्व-चिंतन और तैयारी के, अचानक झगड़ा हुआ, जिसमें अपीलार्थी ने मृतक पर लाठियों से वार किया, जो घातक साबित हुआ । भा. दं. वि. की धारा 300 का अपवाद 4 अचानक लड़ाई में किए गए कृत्य को अच्छादित करता है । यह तब लागू होता है जब मृत्यु बिना किसी पूर्व-योजना के, अचानक हुए झगड़े में हुई हो, जिसमें अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया हो या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया हो और लड़ाई, मारे गए व्यक्ति के साथ हुई हो । विधि के अनुसार, अपवाद 4 के अंतर्गत मामला लाने के लिए, इसमें उल्लिखित सभी तत्व मौजूद होने चाहिए ।

14) यदि हम उपरोक्त सिद्धांतों पर मामले की जांच करते हैं, तो यह प्रतीत होता है कि कोई पूर्व-चिंतन नहीं था और मृतक और अपीलार्थी पंचू के बीच अचानक लड़ाई में, आवेश में, अपीलार्थी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना अचानक झगड़े पर, मृतक को लाठियों से मारा गया था, जो यह नहीं दर्शाता है कि उसने क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया है । इन तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय में, यह मामला भा. दं. वि. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और चूँकि अपीलार्थी को यह जानकारी थी कि उसके द्वारा किया गया कार्य मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन उसने ऐसा मृत्यु का कारण बनने या शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय के बिना किया, इसलिए वह भा. दं. वि. की धारा 304 भाग **II** के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा ।

15) जहाँ तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(**v**) के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है, हम पाते हैं कि यह अभिलेख में उपलब्ध किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं है । विशेष अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (**v**) में यह प्रावधान है कि जो कोई भी,अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए,भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध करता है जो दस वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध इस आधार पर कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा । यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इस उप-धारा के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए, भा. दं. वि. के तहत आरोपित अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय होना चाहिए और यह इस आधार पर किया गया होगा कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर, हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह संकेत मिले कि अपीलार्थी पंचू ने यह अपराध इस कारण और इस आधार पर किया था कि मृतक दिलीप अनुसूचित जाति का था । ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पीड़ित और अपीलार्थी के बीच तीखी बहस के समय पीड़ित की जाति पुकारने के कारण, विचारण न्यायाधीश ने यह विचार किया है कि इस मामले में विशेष अधिनियम की धारा 3(2) (**v**) के तहत अपराध बनता है । हम इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार को बनाए रखने में असमर्थ हैं और अपीलार्थी पंचू को विशेष अधिनियम की धारा 3(2) (**v**) के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को आपास्त किया जाना चाहिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16) परिणामस्वरूप :-

(**i**) अपीलार्थी राम भरोसे द्वारा दायर दण्डिक अपील संख्या 86/2003 स्वीकार की जाती है । भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत उसे दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को आपा-स्त किया जाता है । उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है ।

(**ii**) अपीलार्थी पंचू यादव द्वारा दायर दण्डिक अपील संख्या 85/2003 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(**v**) के तहत दी गई दोषसिद्धि और

दंडादेश आपास्त किया जाता हैं। इसके बजाय, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के तहत दोषी ठहराया जाता है और 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है । अपीलार्थी अपने द्वारा पहले ही भुगती गई दंड की अवधि को मुजरा कराये जाने का हकदार होग

सही /-
मुख्य न्यायाधीश

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur